अमोल रतन सिंह से पहले, न्यायामूर्ति

सावित्री देवी-अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा स्टेट थ्रू कलेक्टर, हिसार -

उत्तरदाता

1996 का आरएसए नम्बर 2240

07 मई, 2019

ए) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस. 80-विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-एस. 34 और 37-बकाया का भुगतान न करने के कारण भूखंड को फिर से शुरू करना-नोटिस की सेवा न देना-नोटिस के अभाव में आयोजित भूखंड को फिर से शुरू किया जा सकता है-बेशक, प्रारंभिक भुगतान के बाद एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है-भूखंड को उचित रूप से फिर से शुरू करना।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उस न्यायालय के निर्णय में, कि अपीलार्थी-वादी के पति (उसके वकील के रूप में) ने इस प्रभाव की गवाही दी थी कि आवंटन की शर्तों में समय पर किश्तों का भुगतान किया जाना शामिल है, ऐसे भुगतानों की तिथियां भी आवंटन पत्र में दी गई हैं, जिसके निष्कर्ष का खंडन अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा रिकॉर्ड से यह दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि यह एक विकृत निष्कर्ष था, मैं यह नहीं मानता कि नोटिस के अभाव में, भूखंड को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता था, और स्वीकार है कि वर्ष 1968 में Rs.1000 के प्रारंभिक भुगतान के बाद एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया था।

(पैरा 41)

ख) सीमा अधिनियम, 1963-धारा 3-घोषणा के लिए वाद पर मुद्दा न बनाना और स्थायी निषेधाज्ञा को सीमा द्वारा वर्जित किया जाना-भूखंड को फिर से शुरू करने के आदेश के 11 वर्षों के बाद वाद दायर करना-अपीलार्थी या वादी और उसके पति-वकील की गवाही यह दिखाने में विफल रही कि उसे भूखंड को फिर से शुरू करने के बारे में केवल इसकी फिर से नीलामी के लिए विज्ञापन पढ़ने पर पता चला-इसलिए, उचित सीमा द्वारा वर्जित के आधार पर वाद को खारिज किया जाता है।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुकदमा फिर से शुरू करने का आदेश पारित होने के लगभग 11 साल बाद 01.03.1972 पर दायर किया गया था, यह सीमा से परे था, अपीलार्थी-वादी का रुख यह था कि उसने उस तथ्य की जानकारी तभी एकत्र की जब भूखंड की नीलामी की जा रही थी, उस प्रभाव के लिए समाचार पत्र में एक विज्ञापन/नोटिस जारी किया गया था।(पैरा 52) ने आगे कहा कि, उनकी अपनी गवाही से भी,

उनके पति-वकील की गवाही में, यह नहीं दिखाया गया है कि उनके द्वारा कहीं भी यह कहा गया था कि उन्हें वर्ष 1982-83 में इसकी पुनः नीलामी के लिए एक विज्ञापन पढ़ने के बाद ही भूखंड को फिर से शुरू करने के बारे में पता चला।

(पैरा 53)

सुमन जैन, अधिवक्ता,

अपीलार्थी के लिए।

पवन झंडा, ए. ए. जी., हरियाणा।

अमोल रतन सिंह, न्यायामूर्ति।

(1) यह वादी की दूसरी अपील है जिसने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें इस आशय की घोषणा करने की मांग की गई है कि प्रशासक, न्यू मंडी टाउनशिप, हरियाणा द्वारा

मंडी आदमपुर, तहसील और जिला हिसार में स्थित प्लॉट नम्बर 32 के संबंध में 01.03.1972 पर पारित आदेश एक ऐसा आदेश है जो अवैध, अमान्य और इसलिए वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

(2) उन्होंने विवादित भूखंड से अपने निष्कासन के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत की भी मांग की।

(3) अपीलार्थी-वादी (जिसे इसके बाद वादी के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अनुसार, उपरोक्त भूखंड की नीलामी 16.01.1968 पर की गई थी, जिसमें उसने इसे Rs.4000-की राशि के लिए खरीदा था, जिसमें से Rs.1000-का भुगतान उसके द्वारा किया गया था, और शेष राशि का भुगतान तीन किश्तों में किया जाना था।

(4) यह आगे तर्क दिया गया कि भूखंड का कब्जा उसे दे दिया गया था और वह इस तरह के कब्जे में बनी रही।

(5) हालांकि, कथित तौर पर बिना किसी सूचना के उसे जारी किया गया जैसा कि आवश्यक था, आवंटन को उपरोक्त आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अवैध, अमान्य और उसके अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं होने का तर्क दिया गया था।

(6) यह अभी भी आगे तर्क दिया गया था कि उसे आदेश के बारे में केवल 22.01.1983 (कथित रूप से समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त ऐसी जानकारी) पर भूखंड की बाद की नीलामी के समय पता चला, जिसके बाद उसने प्रतिवादी राज्य से संपर्क किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

(7) मुकदमे में नोटिस जारी होने के बाद (01.02.1983 पर स्थापित), प्रतिवादी-प्रतिवादी राज्य हरियाणा (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित किया जाएगा), पेश हुआ और 24 की धारा 80 के तहत नोटिस के अभाव में प्रारंभिक आपत्तियां लेते हुए एक लिखित बयान दायर किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता, वाद पर विचार करने के लिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता की कमी, इसकी रखरखाव क्षमता, कार्रवाई के कारण की कमी, वाद का पूर्व-परिपक्व होना और वादी को अपने स्वयं के कार्य और आचरण द्वारा मुकदमा दायर करने से वंचित किया जाना।

(8) यह आगे तर्क दिया गया कि भूखंड का कब्जा राज्य द्वारा अपने नायब तहसीलदार के माध्यम से 22.03.1972 पर पहले ही ले लिया गया था।

(9) उपरोक्त प्रारंभिक आपत्तियों के अलावा, वादी द्वारा स्थापित मामले के गुण-दोष पर, प्रतिवादी ने वादी को भूखंड के आवंटन को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि वादी को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, शेष किश्तों का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, दिनांक 1 का विवादित आदेश पारित किया गया और भूखंड का कब्जा ले लिया गया।

(10) वादी द्वारा एक प्रतिकृति दायर किए जाने के बाद, लिखित बयान की सामग्री से इनकार करते हुए और अपनी शिकायत को दोहराते हुए, विद्वान निचली अदालत द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः-

"1. क्या प्रशासक, न्यू मंडी टाउनशिप, हरियाणा, चंडीगढ़ के भूखंड संख्या 2 के संबंध में 1.3.72 दिनांकित आदेश कानून के खिलाफ है, गलत, अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना, यदि ऐसा है तो किस प्रभाव से?ओपीपी

2. क्या वादी भूखंड का मालिक है

विवाद?ओपीपी

3. क्या वादी को अवशिष्ट राशि एकमुश्त जमा करने पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था?ओपीपी

4. क्या धारा 80 के तहत नोटिस जारी न करने के लिए मुकदमा खराब है

सीपीसी?ओपीडी

5. क्या दीवानी अदालत को मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

वर्तमान विवाद?ओ. पी. डी -

6. क्या मुकदमा वर्तमान में बनाए रखने योग्य नहीं है

रूप?ओपीडी

7. क्या वादी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है?ओपीडी

8. क्या वादी का मुकदमा पूर्व-परिपक्व है, यदि ऐसा है तो

प्रभाव?ओपीडी

9. क्या वादी को वर्तमान दाखिल करने से रोक दिया गया है

अपने स्वयं के कार्य और आचरण से सूट?ओपीडी

10. रिली-एफ।”

(11) अपने मामले के समर्थन में, वादी ने अपने पति और वकील, ओम प्रकाश से पीडब्लू1 के रूप में पूछताछ की और अपने साक्ष्य को बंद कर दिया, दूसरी ओर प्रतिवादी ने किसी भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया।

(12) उपरोक्त के बावजूद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 29.11.1988 के संक्षिप्त पहले निर्णय में कहा कि पीडब्लू1 की जांच करने के अलावा वादी ने चुनौती के तहत आदेश की एक प्रति भी फाइल पर नहीं रखी थी, और न ही "चुनौती के तहत आदेश की झलक" के लिए फाइल पर कोई सबूत पेश किया था, और इसलिए, भले ही आदेश स्वयं प्रतिवादी द्वारा विवादित नहीं था, मुकदमे को खारिज करना पड़ा, वादी द्वारा अपने दावे को साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत भी नहीं दिया गया था, उसे दिए गए कई अवसरों के बावजूद।

(13) नतीजतन, मुकदमा खारिज कर दिया गया।

(14) अपीलार्थी-वादी ने पहली अपील दायर करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार ने पक्षों की दलीलों और विद्वान निचली अदालत द्वारा बनाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, उस अदालत द्वारा जारी निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया और एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार करने के बाद, मामले को निचली अदालत में भेज दिया, जिसमें मुकदमे की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया गया, जैसा कि वरिष्ठ उप न्यायाधीश, हिसार, दिनांक 26.08.1992 (मामले के रिमांड पर) के फैसले के अवलोकन से स्पष्ट होगा।

(15) अतिरिक्त मुद्दा निम्नलिखित था:- "9-उ. क्या वाद पर वादी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं?ओपीपी "

(16) दूसरे दौर में, अपने पति और वकील ओम प्रकाश से पीडब्लू1 के रूप में फिर से पूछताछ करने के अलावा, वादी ने अतिरिक्त मुद्दे के संबंध में पीडब्लू2 के रूप में गवाह बॉक्स में भी कदम रखा।

(17) हालाँकि प्रतिवादी राज्य ने दूसरे दौर में भी कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

(18) विद्वत विचारण न्यायालय ने तब एक निष्कर्ष दर्ज किया कि वाद संपत्ति के कब्जे के संबंध में, वादी के अभिवचनों के अनुसार भी वह उसके कब्जे में नहीं थी, क्योंकि उसने वास्तव में इस आधार पर इस तरह के कब्जे की मांग करने वाली याचिका दायर की थी कि उसे नायब तहसीलदार द्वारा 22.03.1972 पर बेदखल कर दिया गया था।

(19) जहां तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, निचली अदालत द्वारा यह पाया गया कि Rs.1000-की मूल रसीद, जो नीलामी के समय जमा की गई राशि थी, वास्तव में उसके द्वारा साक्ष्य के रूप में नहीं दी गई थी, हालांकि उसे भेजे गए नोटिस, Ex.D1, से पता चलता है कि 26

कि भूखंड को शेष किश्तों का भुगतान न करने के कारण फिर से शुरू किया गया था।

(20) इस तरह के नोटिस की रसीद प्रतिवादी राज्य द्वारा Ex.D2 के रूप में प्रदर्शित की गई थी, जिस पर वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, हालांकि उसने बोली पत्र, Ex.D3 पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसे अंग्रेजी में देखा गया था।

(21) इस प्रकार वह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बोली पत्र पर हस्ताक्षर वादी के नहीं थे और परिणामस्वरूप, क्योंकि उसने नीलामी में बोली नहीं लगाई थी, इसलिए विवादित आदेश को अवैध, अमान्य घोषित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।

(22) इसके अलावा, उन्होंने यह भी साबित नहीं किया कि उन्होंने शेष किश्तें जमा नहीं की थीं, इसलिए उन्हें भूखंड का हकदार नहीं ठहराया जा सकता था।

(23) उस संदर्भ में मायवती में इस न्यायालय के निर्णय और

अन्य बनाम प्रशासक 1, पंजाब राज्य और अन्य बनाम

श्री राम किशन 2 और मोहन लाल बनाम राज्य 3, को निचली अदालत द्वारा संदर्भित किया गया था, हालांकि वास्तव में यह मानने के लिए कि वे निर्णय लागू नहीं थे, क्योंकि उन मामलों में, भुगतान की गई किश्तों पर, आवंटन बहाल कर दिया गया था।

(24) उपरोक्त निष्कर्षों पर, नहीं।1, 2 और 3 (क्या विवादित आदेश को अवैध घोषित किया जा सकता है और क्या वादी विवादग्रस्त भूखंड की स्वामी थी, और क्या उसे शेष किश्तें जमा करने के लिए कहने के लिए नोटिस जारी किए गए थे), वादी के खिलाफ और प्रतिवादी राज्य के पक्ष में निर्णय लिया गया था।

(25) मुद्दा नं.4 8 को प्रतिवादी द्वारा दबाव नहीं डाला गया था और इसलिए वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया था, जिसमें मुद्दा संख्या।9-ए, अर्थात वादी द्वारा अभियोग पर विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे या नहीं, इस पर तैयार किए गए अतिरिक्त मुद्दे ने भी उसके पक्ष में निर्णय लिया, यह मानते हुए कि उसने वास्तव में अभियोग पर हस्ताक्षर किए थे।

(26) हालाँकि, उसके भूखंड का हकदार होने और उसके कब्जे में होने के प्राथमिक मुद्दों पर, उसके खिलाफ निर्णय लेने के बाद, मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।

(27) उस फैसले और डिक्री को फिर से चुनौती दी गई

1 1991 (1) एलजेआर 827

2 1986 पीएलजे 456

3 1980 पीएलजे 618)

(अमोल रतन सिंह, न्यायामूर्ति)

पहली अपील के माध्यम से, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपनी पूर्ववर्ती अदालत द्वारा बनाए गए अतिरिक्त मुद्दे सहित वाद और बनाए गए मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद, एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी द्वारा वादी को जारी किए गए नोटिस की स्वीकृति के संबंध में, इसे वादी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं माना जा सकता है, ऐसी स्वीकृति वर्ष 1969 की है, जिसमें दावा किया गया है कि नोटिस 03.02.1972 पर जारी किया गया है, जिसमें वादी को 01.03.1972 द्वारा जवाब देने की आवश्यकता है।

(28) इसके बाद, मायावती के मामले (उपरोक्त) में वादी द्वारा भरोसा किए गए मामले के तथ्यों को संदर्भित किया गया, और यह पाया गया कि चूंकि उस मामले में आवंटी द्वारा दायर अपील के लंबित होने के दौरान (संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष), धन का भुगतान किया गया था, लेकिन फिर भी अपील खारिज कर दी गई थी, इस अदालत ने कहा था कि एक बार जमा किए गए धन को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया था, तो भूखंड को याचिकाकर्ताओं/आवंटी को बहाल कर दिया जाना चाहिए था।

(29) इसलिए उस मामले के तथ्यों को पहली अपीलीय अदालत (निचली अदालत की तरह) द्वारा 'वर्तमान वादी' के मामले में लागू नहीं होने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था, क्योंकि 1968 में नीलामी होने के बाद, भूखंड को दिनांक 1/03/1972 के आदेश के माध्यम से फिर से शुरू किया गया था।

(30) इसके अलावा, निचली अपीलीय अदालत द्वारा यह दर्ज किया गया था कि हालांकि आवंटन पत्र फाइल में पेश किया गया था, हालांकि वादी के पति और वकील ने "आवंटन की कुछ भौतिक शर्तों" को स्वीकार किया था, जिसमें यह भी शामिल था कि किश्तों के भुगतान की तारीखें आवंटन पत्र में दी गई थीं, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि भुगतान न करने की स्थिति में, भूखंड को फिर से शुरू किया जाएगा।

(31) इसलिए, किश्तों का भुगतान न करने का कोई कारण सामने नहीं आने के कारण, वादी की इस दलील को खारिज कर दिया गया कि किश्तों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, उस अदालत ने उसे मांगी गई राहत देना उचित नहीं पाया।

(32) इसके बाद यह दर्ज किया गया कि 01.03.1972 को फिर से शुरू करने के आदेश को वास्तव में 01.02.1983 पर चुनौती दी गई थी, यानी लगभग 11 साल बाद, इसलिए इक्विटी भी उसके पक्ष में नहीं थी।

(33) नतीजतन, उपरोक्त निष्कर्षों पर, अपीलार्थी द्वारा दायर पहली अपील को भी खारिज कर दिया गया था, जैसा कि निचली अदालत द्वारा उसका मुकदमा था।

(34) इस अदालत के समक्ष, अपीलार्थी के विद्वान वकील, श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि इस अदालत के विचार और उसके निर्णय के लिए कानून के निम्नलिखित दो प्रश्न उत्पन्न होते हैः

"(i) क्या अपीलार्थी को उसके भूखंड को फिर से शुरू करने के लिए जारी किए गए किसी नोटिस के अभाव में, भूखंड को फिर से शुरू किया जा सकता है?और

((ii) क्या मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किए जाने के प्रश्न पर बनाए गए किसी भी मुद्दे के अभाव में, इसे एक बाधा माना जा सकता था?"

(35) उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि प्रत्यर्थी के अनुसार, वादी को 03.02.1972 पर विधिवत नोटिस जारी किया गया था, इस प्रभाव के लिए कि यदि बकाया का भुगतान नहीं किया गया था तो प्लॉट को 01.03.1972 पर फिर से शुरू किया जाएगा, वादी ने

इस तरह का नोटिस प्राप्त करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि पहली अपीलीय अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त नोटिस उसे प्राप्त होने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, रसीद पर पावती की तारीख, Ex.D2, जिस पर प्रतिवादी राज्य ने भरोसा किया था, वह वर्ष 1969 की है।

(36) इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्लॉट को फिर से शुरू करने के संबंध में वादी को कोई नोटिस जारी नहीं किए जाने के साथ, प्लॉट को फिर से शुरू करने के लिए दिनांकित 01.03.1972 आदेश को वैध रूप से पारित नहीं किया जा सकता है।

(37) इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि मुकदमे पर बनाए गए किसी भी मुद्दे को सीमा द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, निचली अपीलीय अदालत ने यह मानते हुए पूरी तरह से गलती की कि इसे प्रतिबंधित किया गया था, जिससे वाद को खारिज करने का आधार बना दिया गया, जिससे निचली अदालत द्वारा जारी निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा गया।

(38) श्री जैन ने तब कहा कि भले ही यह अदालत अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन मामले को सीमा के मुद्दे पर नीचे की अदालतों में भेजा जाना चाहिए।

(39) इसके विपरीत, हरियाणा के विद्वान सहायक महाधिवक्ता, श्री झंडा ने प्रस्तुत किया कि वादी ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया कि उसने भूखंड के आवंटन के बाद किसी भी किस्त का भुगतान किया था, वास्तव में उसके पति और वकील ने पीडब्लू 1 के रूप में प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि आवंटन पत्र (हालांकि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था) में एक खंड था कि किश्तों का भुगतान न करने की स्थिति में भूखंड को फिर से शुरू किया जा सकता है, और यह कि किश्तों की तारीखें भी आवंटन पत्र में दी गई थीं, अपीलकर्ता उस नोटिस की याचिका को नहीं ले सकती है जो उसे फिर से शुरू करने के संबंध में प्राप्त नहीं हुई थी, और उस आधार पर दावा करती है कि वह भूखंड आवंटित करने की हकदार है।

(40) इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में निचली अपीलीय अदालत ने पाया कि मुकदमा 1983 में दायर किया गया था, जिसमें सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य द्वारा कलेक्टर, हिसार को चुनौती दी गई थी।

मार्च 1972 में पारित आदेश, यह एक मुकदमा था जो सीमा पर ही बनाए रखने योग्य नहीं था।

(41) इस अदालत के समक्ष जो तर्क दिया गया है, और श्री जैन द्वारा उठाए गए कानून के पहले प्रश्न के संबंध में इस अपील में दिए गए निर्णयों में क्या निर्णय लिया गया है, इस मामले पर विचार करने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्यथा आवंटित भूखंड आवंटनकर्ता को उचित नोटिस जारी किए बिना फिर से देय नहीं होगा और विद्वान निचली अपीलीय अदालत इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंची है कि रसीद, जिस पर राज्य द्वारा भरोसा किया गया था, वह वर्ष 1969 की थी और इसलिए Ex. D-2 के बाद प्राप्त किसी भी नोटिस के संबंध में नहीं हो सकती थी, फिर भी, मेरी राय में, उस अदालत के फैसले से यह भी देखा गया कि अपीलकर्ता-वादी के पति (उनके वकील के रूप में) ने गवाही दी थी कि अलॉटमेंट की शर्ते और अदायगी की किस्ते समय पर दी गई थी और इस प्रकार अदायगी की तिथि, अलॉटमैंट पत्र में दी गई थी। जो निर्णय अपीलार्थी के वकील द्वारा इन्कार नहीं की गई और रिकार्ड से यह साबित नहीं किया गया कि यह एक उल्टा निर्णय नहीं था। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नोटिस के गैरहाजिरी में प्लॉट को दोबारा नहीं लिया जा सकता था। और मान्यता अनुसार शुरू की किस्त साल 1968 में रूपए 1000/– के बाद एक भी किस्त ना दी गई।

(42) यह आगे भी ऐसा ही होगा क्योंकि हालाँकि वादी का मुकदमा भी प्रतिवादियों को भूखंड के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग करने वाला था, लेकिन इस बात से फिर से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसके पति और वकील, पीडब्लू1 के रूप में, ने स्वीकार किया था कि वास्तव में भूखंड का कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा ले लिया गया था।

(43) इसलिए, मुझे वास्तव में वादी के मुकदमे को खारिज करने के लिए नीचे दी गई विद्वान अदालतों द्वारा दिए गए तर्क में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलेगा, क्योंकि भूखंड के लिए भुगतान किए जाने वाले विचार के संबंध में देय किश्तों का पूर्ण

भुगतान नहीं किया गया था, इसके अलावा Rs.1000-जो आवंटन के समय जमा किया गया था।

(44) मामला अलग हो सकता है, भले ही अपीलार्थी-वादी ने देय ब्याज के साथ किश्तों को जमा करने की पेशकश की हो; हालाँकि, नीचे दी गई अदालतों के समक्ष भी, उनका रुख था कि देय किश्तों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।दूसरे शब्दों में, उनके पास स्पष्ट रूप से, वर्ष 1983 में दायर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भी (यानी बहाली आदेश के 11 साल बाद), उस भूखंड के लिए भुगतान करने के लिए धन नहीं था, जिसके लिए उन्होंने बोली लगाई थी और जिसे वर्ष 1968 में उन्हें आवंटित किया गया था।

(45) नतीजतन, आवंटन की मूल अवधि जो किसी भी स्तर पर पूरी नहीं हुई है, यहां तक कि भूखंड के लिए विचार के भुगतान के संबंध में, वर्ष 1972 में फिर से शुरू करने के लिए केवल एक नोटिस की अनुपस्थिति, मेरी राय में, अपीलार्थी को उसके पक्ष में एक डिक्री का हकदार नहीं बनाएगी, जिसमें इस प्रभाव की घोषणा करने की मांग की जाएगी कि वह वाद संपत्ति की मालिक है और प्रतिवादी को उसे बेदखल करने से रोका जाए।

(46) इसलिए, जहां तक अपीलार्थी के मामले के गुणागुण का संबंध है, मैं वास्तव में इस अपील को स्वीकार करने के लिए ऐसा कोई गुण नहीं देखता।

(47) फिर भी, जहां तक सीमा के मुद्दे का संबंध है, यानी अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए कानून के दूसरे प्रश्न का सैद्धांतिक रूप से यह जवाब दिया जाता है कि सीमा किसी मुकदमे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक मौलिक आधार होने के कारण, केवल इसलिए कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय उसके संबंध में एक विशिष्ट मुद्दे को तैयार करने में विफल रहे हैं, उन्हें मुकदमे को सीमा से परे दायर करने से नहीं रोकेंगे।

(48) यहाँ, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है:-

“3. बार ऑफ लिमिटेशन।—(1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निर्धारित अवधि के बाद किए गए प्रत्येक वाद, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए -

(क) एक मुकदमा स्थापित किया जाता है -

((i) एक साधारण मामले में, जब शिकायत प्रस्तुत की जाती है

उचित अधिकारी;

((ii) किसी भिखारी के मामले में, जब वह छुट्टी के लिए आवेदन करता है।

एक भिखारी के रूप में मुकदमा करना बनाया जाता है; और "

((ग) न्यायालय द्वारा समाप्त की जा रही कंपनी के विरुद्ध दावे के मामले में, जब दावेदार पहले आधिकारिक परिसमापक को अपना दावा भेजता है;

(ख) प्रतिग्रहण या प्रतिदावे के रूप में किसी भी दावे को एक अलग मुकदमे के रूप में माना जाएगा और यह माना जाएगा कि -

(i) बंद करने के मामले में, उसी तारीख को जिसमें मुकदमा दायर किया गया था।

((ii) प्रतिदावे के मामले में, जिस तारीख को -

अदालत में जवाबी दावा किया जाता है; "

(ग) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब किया जाता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।"

(49) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान की उप-धारा (1) विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कि भले ही किसी प्रतिवादी ने वादी को हटाने के लिए एक आधार के रूप में सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन उस मूल मुद्दे को निर्धारित करने के लिंए अदालत पर एक कतव्य डाला जाता है, कि क्या मुकदमा प्रदान की गई सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया है या नहीं।

(50) इस संदर्भ में, लछमी में प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय

सेवक साहू बनाम राम रूप साहू और अन्य[4] का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें

यह निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया था:-

"3. लेकिन एक बिंदु पर इस अपील का आग्रह किया गया है।यह भारतीय न्यायालयों में से किसी में भी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर लिया गया बिंदु नहीं है, लेकिन चूंकि यह एक सीमा बिंदु है, इसलिए यह अंतिम उपाय के न्यायालय में भी प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है।"

(51) कमलेश बाबू और अन्य बनाम लाजपत राय शर्मा और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का भी अधिक विस्तृत रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 5, जिसमें इस विषय पर संपूर्ण कानून पर चर्चा करने के बाद, यह अनिवार्य रूप से उनके प्रभुत्त्वों द्वारा उस प्रभाव के लिए अभिनिर्धारित किया गया था (उस निर्णय के अनुच्छेद 10 से 22 का संदर्भ)।

(52) वर्तमान मामले में मुकदमा वास्तव में सीमा के भीतर दायर किया गया था या नहीं, यह अपीलार्थी द्वारा साबित किया जाना एक तथ्य की बात होगी, क्योंकि हालांकि नीचे दी गई अदालतों द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया है, वह इस प्रभाव के लिए है कि मुकदमा फिर से शुरू करने का आदेश पारित होने के लगभग 11 साल बाद 01.03.1972 पर स्थापित किया गया था, यह सीमा से परे था, अपीलार्थी-वादी का रुख यह था कि उसने उस तथ्य का ज्ञान तभी एकत्र किया जब भूखंड की नीलामी की जा रही थी, उस प्रभाव के लिए अखबार में एक विज्ञापन/नोटिस जारी किया गया था।

(53) यदि उस तथ्य को उनके द्वारा साबित किया गया था, वास्तव में सबूत के रूप में किसी भी समाचार पत्र की कतरनी पेश करके, उनका रुख संभवतः स्वीकार्य हो सकता था, कि उन्हें वर्ष 1983 तक फिर से शुरू होने की जानकारी नहीं थी।हालांकि, यह से नहीं दिखाया गया है

4 ए. आई. आर. 1944 पीसी 24

5 2008 (2) आरसीआर (सिविल) 872

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा अभिलिखित कीजिए कि अभिवचनों में उस प्रभाव के एक कथन के अलावा, उस तर्क को पुष्ट करने के लिए कोई भी साक्ष्य, जो भी हो, प्रस्तुत किया गया था।यहां तक कि उसकी अपनी गवाही से, या उसके पति-वकील की गवाही से, यह नहीं दिखाया गया है कि उनके द्वारा कहीं भी यह कहा गया था कि उसे एक वर्ष में इसकी पुनः नीलामी के लिए एक विज्ञापन पढ़ने के बाद ही भूखंड को फिर से शुरू करने के बारे में पता चला था।

(54) वास्तव में, उनके पति की गवाही में, यह कहा गया है कि नीलामी को फिर से शुरू करने और फिर से नीलामी के लिए आदेश पारित किए गए थे, जो अपीलार्थी द्वारा संबंधित प्राधिकारी के समक्ष विरोध करने के बावजूद वापस नहीं लिए गए थे।

(55) नतीजतन, मुझे इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का भी कोई आधार नहीं मिलेगा कि मुकदमा ऐसा करने की सीमा समाप्त होने के बाद अच्छी तरह से स्थापित किया गया था, यह 01.02.1983 पर स्थापित किया गया था, जिसमें आक्षेपित आदेश 01.03.1972 पर पारित किया गया था।

(56) किसी भी मामले में, गुण-दोष के आधार पर भी, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वर्ष 1968 में आवंटन के समय भुगतान किए गए आई. डी. 1 के अलावा, बिक्री विचार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

(57) नतीजतन, इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ! सभी व्यव्हारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

प्रताप सिंह
(अनुवादक)